



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]
No. 628]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 13, 1999/आश्विन 21, 1921
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 13, 1999/ASVINA 21, 1921

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1999

का. आ. 1033 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्सस्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं और जिन्हें कृषि प्रयोजनों के लिए विक्रय किया जाना है, क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही, पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए संपूर्ण भारत में अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम०सं०	किस्म	प्रकार
1	2	3
1.	ललितगिरी (आई ई टी-13198)	धान
2.	उदयगिरी (आई ई टी-12136)	धान
3.	खरवेला (आई ई टी-13253)	धान
4.	सेबती (आई ई टी-11786)	धान
5.	भोई (आई ई टी-12443)	धान
6.	गजपति (आई ई टी-13251)	धान
7.	कोनार्क (आई ई टी-12734)	धान

1	2	3
8.	सुरेन्द्र (आई ई टी-12815)	धान
9.	महानदी (आई ई टी-13356)	धान
10.	इन्द्रबती (आई ई टी-13396)	धान
11.	प्राची (आई ई टी-12786)	धान
12.	रामचन्दी (आई ई टी-13354)	धान
13.	सुव्रा (ओ यू ए टी-2)	रागी

[सं.17-92/97-एस.डी.-IV]
गोविन्दन नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 1999

S.O. 1033(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation, with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the Seeds of the varieties specified in column (2) of the Table below of the kinds specified in corresponding entries in column (3) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares the said varieties of Seeds shall be the notified varieties for a period of fifteen years on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the whole of India for the purposes of the said Act, namely:—

TABLE

Serial Number	Variety	Kind
1.	Lalitagiri (IET-13198)	Paddy
2.	Udeyagiri (IEEET-12136)	Paddy
3.	Kharavela (IET-13253)	Paddy
4.	Sebati (IET-11786)	Paddy
5.	Bhoi (IET-12443)	Paddy
6.	Gajapati (IET-13251)	Paddy
7.	Konark (IET-12734)	Paddy
8.	Surendra (IET-12815)	Paddy
9.	Mahanadi (IET-13356)	Paddy
10.	Indrabati (IET-13396)	Paddy
11.	Prachi (IET-12786)	Paddy
12.	Ramachandi (IET-13354)	Paddy
13.	Suvra (OUAT-2)	Ragi

[No. 17-92/97-SD. IV]

GOVINDAN NAIR, Jt. Secy.